

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा।


भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या...4.72/2023

06.09.2023 आवेदक 1. श्री सुधांशु प्रसाद सिंह पिता स्व० रघुनन्दन प्रसाद सिंह 2. लक्ष्मी देवी पति स्व० अजय कुमार सिंह 3. रमेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व० कैलाश प्रसाद सिंह 4. सतीश प्रसाद सिंह पिता स्व० कार्तिक प्रसाद सिंह 5. मंजू देवी पति विश्राम प्रसाद सिंह, सभी के साकिन-मसनोडीह, पोस्ट-मसनोडीह, थाना-डोमचाँच, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि विवरण की भूमि का बिक्री करने के लिए सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है :-

| मौजा | थाना नं० | खाता सं० | प्लॉट सं० | रकवा | किस्म |
|--------|----------|----------|-----------|-----------|-------|
| कोडरमा | 333 | 250 | 3653 | 33 डी० | रैयती |
| | | 65 | 3657 | 10 डी० | |
| | | 237 | 3629 | 01 डी० | |
| | | 237 | 3630 | 01.40 डी० | |

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक ...13.../...09.../2023 को प्रस्तुत करें।



अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

अभिलेख उपस्थापित।

आम इश्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-कोडरमा, थाना नं०-333, खाता सं०-250, प्लॉट सं०-3653, रकवा-33, खाता सं०-65, प्लॉट सं०-3657, रकवा-10 डी०, खाता सं०-237, प्लॉट सं०-3629, रकवा-01, खाता सं०-237, प्लॉट सं०-3630, रकवा-01.40 डी० भूमि कुल रकवा-45.40 डी० श्री सुधांशु प्रसाद सिंह पिता स्व० रघुनन्दन प्रसाद सिंह, लक्ष्मी देवी पति स्व० अजय कुमार सिंह, रमेन्द्र कुमार सिंह पिता स्व० कैलाश प्रसाद सिंह, सतीश प्रसाद सिंह पिता स्व० कार्तिक प्रसाद सिंह, मंजू देवी पति विश्राम प्रसाद सिंह के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-147 भाग सं०-29 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। प्राधिकार क्षेत्र में दा० खा० वाद सं०-1489/2003-04 दर्ज है। उक्त भूमि केवाला सं०-1387 दिनांक-21.02.2003 द्वारा प्राप्त है। लगान रसीद वर्ष-2015-16 तक निर्गत है। भूमि रैयती खाते की है। शपथ पत्र सं०-30 दिनांक-19.08.2023 (नॉटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


अंचल अधिकारी,
कोडरमा